U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l-

jktLo f}rh; vihy la[;k 127@2013

vihykUV	बनाम	**jLiksMsUVl**
मृतक पोकरराम पुत्र कानाराम कुमावत, निवासी–222 सर्वोदय नगर पाली के का0मु0:–– 1. केलकी पत्नी पोकरराम 2. लादूराम पुत्र पोकरराम 3. सोनाराम पुत्र पोकरराम 4. मृतक मांगीलाल पुत्र पोकरराम के का0मु0:– 1. रूकमा पत्नी 2. योगेश 3. निर्मला पुत्री 4/2 से 4/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता 4/1 रूकमा पत्नी मांगीलाल 5. जगदीश पुत्र पोकरराम 6. राजेश पुत्र पोकरराम 7. गोविन्द पुत्र पोकरराम		1. श्रीमती कंकूडी पत्नी कालूराम निवासी– ओल्ड नम्बर 26, न्यू नम्बर 54 बी ब्लॉक एजिल नगर, कोडू नगियार, चैन्नाई–18 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2013 जो जिला कलक्टर पाली ने राजस्व अपील संख्या 47/2009 अनवान पोकरराम बनाम कंकूडी वगैराह में पारित किया

mifLFkfr%&&

1. श्री कैलाश त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री पी0 डी0 दवे, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 2 की ओर से उपस्थित।

fu.kZ;

fnukad 25 uoEcj] 2019

1. अपीलान्ट की ओर से यह प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलेक्टर पाली के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या संख्या 47/2009 अनवान पोकरराम बनाम कंकूडी वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2013 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि ग्राम पाली चक द्वितीय में खसरा संख्या 295 रकबा 111 बीघा 118 बिस्वा में 1/6 हिस्सा आया हुआ है। रेस्पो0 संख्या एक के पति द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर पॉवर ऑफ एर्टानी पर हस्ताक्षर कराते हुए अपनी पत्नी रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में दिनांक 22.5.2000 को बेचाननामा निष्पादित करवाते हुए उसका पंजीयन करवा दिया जिसके आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 2258 दिनांक 28.05.2009 को तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत कर दिया। तब अपीलान्ट के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 2258 को निरस्त करवाने हेतु प्रथम अपील श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर पाली ने अपीलान्ट की प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 16.09.2013 के द्वारा अस्वीकार कर दिया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील इस आधार पर खारिज की है कि नामा0 एक सरसरी प्रक्रिया है जिसे स्वत्व हक व अधिकार तय नहीं होते है जबकि तहसीलदार को नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के कब्जे सम्बन्धी जॉच की जाना आवश्यक था जो नहीं की गई, इस पर अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई फाईडिंग नहीं दी। इसके अतिरिक्त नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व भी तहसीलदार पाली के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ऐसे में अपीलान्ट के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना की है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक के पति के द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखते हुए पॉवर ऑफ एर्टानी के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक को भूमि हस्तान्तरित कर दी है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता

है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पाली के द्वारा तथाकथित बेचाननामा दिनांक 22.5.2009 के पंजीयन होने के चार दिन के भीतर ही अपीलाधीन नामा0 संख्या 2258 को स्वीकृत कर दिया गया जो भी संदेहास्पद लगता है। इन सभी आधार पर अपीलाधीन नामा0 आदेश निरस्त करने योग्य था परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन नामा0 को यथावत बहाल रखने का आदेश पारित कर दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2013 एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 2258 दिनांक 28.5.2009 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पति के पक्ष अपीलान्ट के द्वारा उक्त खसरा भूमि रकबा में से 1/6 हिस्सा भूमि का पॉवर ऑफ अटार्नी किये जाने पर रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में दिनांक 22.05.2009 को उक्त भूमि का पंजीकृत बेचान दस्तावेज सम्पादित किया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 2258 दिनांक 28.5.2009 को तहसीलदार पाली के द्वारा स्वीकृत किया गया हैं। उक्त नामा0 स्वीकृत किये जाने में तहसीलदार पाली के द्वारा किसी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 बहाल रखे जाने योग्य है।

6. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से अपनी अपील में गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष उजागर किये है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपीलों में भी अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किये जाने में कानूनी रूप से किस प्रकार की गलती स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई है, वह नहीं बता पाये है। मात्र पॉवर ऑफ अटार्नी के संदर्भ में ही अंकित किया गया है कि पॉवर ऑफ अटार्नी पंजीकृत न होने से एवं सम्पति का कब्जा हस्तान्तरित न होना दर्शाते हुए अपील की है, पॉवर ऑफ अटार्नी की वैधानिकता के बारे में राजस्व न्यायालय किसी प्रकार से कोई फाईडिंग नहीं दे सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामा0 जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है, उस बेचान दस्तावेज की वैधता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायायल से किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाता तब तक न तो बेचान कार्यवाही विधि विरूद्ध मानी जा

सकती है और न ही अपीलाधीन नामा0। अपीलान्ट को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में अपने अनुतोष हेतु वाद दायर करने की कार्यवाही करे। नामा0 प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिससे किसी के हक–अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 16.09.2013 के द्वारा यह अंकित करते हुए अस्वीकार की गई है कि तहसीलदार पाली के द्वारा रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 22.5.2009 की पालना में अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किया है। अपीलान्ट की ओर से उक्त पंजीयन दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु माननीय जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन होना दोनो पक्ष स्वीकार करते है। नामा0 एक सरसरी प्रक्रिया है जिसमें स्वत्व, हक–अधिकार तय नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीयन दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है जिसमें हस्ताक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त आदेश हमारे विनम्र मत में उचित प्रतीत होता है क्योकि पक्षकारान के मध्य उक्त बेचान दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु जिला न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है तो उसके अन्तिम विनिश्च के अनुसार अपीलाधीन नामा0 की वैधता भी स्पष्ट हो जायेगी।

8. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.09.2013 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj